

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोन्गिबि, बागेश्वर**

पत्रांक 1692/2 ई0व0भू0  
सेवा में,

दिनांक 24/06/2023

**प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग,  
बागेश्वर।**

**विषय:-**

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत जल्थाकोट-चमडथल-किमौली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 3.115है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

**सन्दर्भ:-**

भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0पी0पी0/06/89/2016/एफ0सी0/1611 दिनांक 02.11.2018.  
2019

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

**सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के अनुपालन आख्या**

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.23 है0 ग्राम नौकुड़ी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 6.23 है0 ग्राम नौकुड़ी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 21,00,656.00 मात्र (रू0 इक्कीस लाख छः सौ छपन मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52021062129409140 Dtd 21.06.2021 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 6.23 है0 ग्राम नौकुड़ी का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 438/छब्बीस-18 वन/2019-20 दिनांक 06.01.2020 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रांक-430/ र0का0 /2016 दिनांक 31.08.2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBINR52021062129409140 Dtd 21.06.2021 द्वारा रू0 20,46,555.00 मात्र (रू0 बीस लाख छियालीस हजार पाँच सौ पाँच मात्र) जमा की जा चुकी है (वालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ववन बढता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु ववन बढता प्रमाण पत्र संलग्न है।

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियों (CA cost, NPV etc.) को बैंब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति कके रूप में मान्य नहीं होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBINR52021062129409140 Dtd 21.06.2021 द्वारा रू0 41,47,211.00 मात्र (रू0 इकचालीस लाख सैतालीस हजार दो सौ मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt may submit the correct original hard copy of alternatives examined and also upload the same at designation place.	Correct original hard copy of alternatives examined are submitted in hard copy (Prapatra-8) and the same is uploaded in additional information at Part-I.
7	State Govt will upload correct data about employment generation at para E(ii) online part-I.	Correct Employment generation is uploaded at para E(ii) online part-I.

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

**दिसंबर**  
21/12/23  
विकास वन प्रपा  
कस्ब

सबकीय,  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
बागेश्वर

संरक्षक

भारत का वन एवं जलवायु परिवर्तन  
यंत्रालय

शेकरीय कार्यालय (खल्दर-केन्द्रीय क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL  
ZONE)

25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE-0135-2650809

FAX-0135-2653010

E-mail- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी / यूएसीओ / 06 / 80 / 2016 / एफओसी / 164

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय - जंगल - बागेश्वर के अन्तर्गत जल्थाकोट-चमडथल-किमोली गोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 688/X-4-15/1(393)/2015 दिनांक 06.08.2015 महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No.FP/UK/ROAD/96886/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का फट्ट कार्य जिसके द्वारा विधायकिया प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तावत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार, जंगल - बागेश्वर के अन्तर्गत जल्थाकोट-चमडथल-किमोली गोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सूचनात्मक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.23 हे० गाम-नौकोडी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशयसंगणित) जमा की जायेगी। इच्छत भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाह्य है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधित स्वीकृति प्रदान की जायेगी। रोपण के समय कम से कम 60 प्रतिशत ओक प्रजाति के रोपों का रोपण किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफओ दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बढता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधि (CA Cost, NPV etc.) को बैंक गारंटी पर Online Generate किए गए बालान के माध्यम द्वारा उचित बैंगलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैकान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ समत हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने खय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की बचन बढता प्रोवित करनी होगी।
3. State Government may submit the correct original hard copy of alternatives examined and also upload the same at designated place.

### आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 3.115 हे० वन भूमि की दुगुनी अवनत भूमि 6.230 हे० जो ग्राम नौकोडी राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र शामा तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी के खाता संख्या-189 के श्रेणी 9(3) ख इमारती लकड़ी के जंगल के पैमाईसी खेत नम्बर 01 रकबा 14.960 हे० मध्ये 6.230 हे० भूमि प्रस्तावित है, को शासनादेश संख्या-2173/XVIII(ii) 2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर,2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-08बी०/यू०सी०पी०/06/97/2017/एफ०सी०/267/दिनांक 11.05.2018 में दी गयी व्यवस्था/शर्तों के अधीन क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,  
बागेश्वर।

### कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या- 438 /छब्बीस-18 वन/ 2019-20 दिनांक ०6जनवरी 2020,  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर, वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 02- उपजिलाधिकारी, कपकोट।
- 03- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
- 04- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित/प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए सम्बन्धित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,  
पृ.बागेश्वर।



Handwritten signature and date: 13/2/2020



कार्यालय तहसीलदार,कपकोट ।  
संख्या-430/र0का0/2016, दिनांक 31 अगस्त, 2016.

सेवा में

अधिकासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,  
बागेश्वर ।


विषय- ऑन लाइन प्रस्तावों के वन भूमि की पूर्ति हेतु क्षतिपूर्क वनीकरण लेण्ड बैंक के अन्तर्गत सिविल सोयम भूमि की खतोनी के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 1888/2ई0व0भू, दिनांक 20/08/2016 का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें। पत्र में उल्लिखित मार्गों के सम्मुख प्रस्तावित स्थलों के ग्रामों की खतौनियां क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षकों से प्राप्त कर संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सलग्न- उक्तानुसार 04 खतौनी उद्धरण।

  
तहसीलदार,  
कपकोट



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo\_bageshwar@rediffmail.com dfo\_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं : 05963-220249 फैक्स नं 05963-220209



पत्रांक 2679 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 19 / 3 / 2021

सेवा में,

अधिकाारी अभियन्ता,

प्रांतीय खण्ड, लोनिवि विभाग,  
बागेश्वर।

विषय - जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत जल्थाकोट चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (9686/2015)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 563/2ई०व०मू० दिनांक 15.03.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08डी/यू०सी०पी०/०६/८९/२०१५/एफ०सी०/१६११ दिनांक ०२.११.२०१८।

2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक -972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा निर्धारित दरो के क्रम में वर्ष 2020-21 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र०सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	3.115 हे०	5	0.2	6,57,000.00	20,46,555.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	06.23 हे०	"-"	"-"	3,37,184.00	21,00,656.00

प्रभागीय वनाधिकारी

भवदीय,

*Mudr.*

प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

*Mudr.*



NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds  
Date: 27-06-2021

Agency Name	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	8136861803
NEFT/RTGS File No.	85002968/85-2073/FC
Location	UTTARANCHAL
Address	Provincial Division PWD Bageshwar-Bageshwar
Amount(In Rs)	4147211/-

Amount in Words: Four-One-Lakh-Forty-Seven-Thousand-Two-Hundred-and-Eighteen-Rupies Only


NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code	UBIN03U7143
Pay to Account No.	150886156380803 <small>India only for this challan amount.</small>
Bank Name & Address	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through email: [helpdeskcampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskcampa@corpbank.co.in)

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: [cb0371@unionbankofindia.com](mailto:cb0371@unionbankofindia.com)



NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds  
Date: 27-06-2021

Agency Name	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	8136861803
NEFT/RTGS File No.	85002968/85-2073/FC
Location	UTTARANCHAL
Address	Provincial Division PWD Bageshwar-Bageshwar
Amount(In Rs)	4147211/-

Amount in Words: Four-One-Lakh-Forty-Seven-Thousand-Two-Hundred-and-Eighteen-Rupies Only


NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code	UBIN03U7143
Pay to Account No.	150886156380803 <small>India only for this challan amount.</small>
Bank Name & Address	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through email: [helpdeskcampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskcampa@corpbank.co.in)

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: [cb0371@unionbankofindia.com](mailto:cb0371@unionbankofindia.com)



IN R 52021062129409140

*Handwritten signature*

परियोजना का नाम:--राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में  
जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग का  
निर्माण।

### एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के एवज में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.08 एवं आदेश दिनांक 09.05.08 में निर्धारित प्रक्रिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456/1-42 दिनांक 15.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार देय एन.पी.वी. की धनराशि उल्लेखित लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी।

सहायक अभियंता  
प्रान्तीय खड, लो0नि0वि0  
बागेश्वर

अधिसासी अभियंता  
प्रान्तीय खड, लो0नि0वि0  
बागेश्वर

29

परियोजना का नाम:-राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में  
जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग का  
निर्माण।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास  
रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वैधित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी  
जायेगी।

सहायक अभियंता  
प्रान्तीय खड, लोडिनिवि  
बागेश्वर

अधिरासी अभियंता  
प्रान्तीय खड, लोडिनिवि  
बागेश्वर